शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय

(शंकर नगर) धरसींवा, रायपुर (छ.ग.) 493 221

ACCREDITED WITH GRADE B NAAC

विवरणिका 2020-21

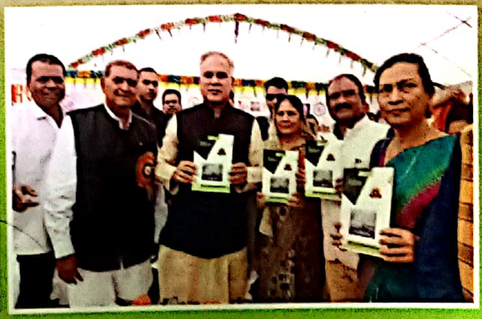

GOVT. PT. SHYAMACHARAN SHUKLA COLLEGE

(Shankar Nagar) DHARSIWA, Dist. Raipur (C.G.)

E.mail Id- gcollegedharsiwa@ymail.com Web site- www.gpssc.in contact No.9893119114

Scanned with CamScanner

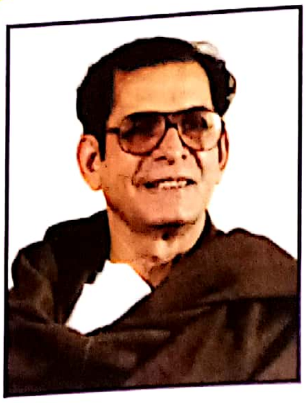

जीवन परिचय

स्व. श्री पं. श्यामाचरण शुक्ल

छत्तीसगढ़ के लाडले व यशस्वी माटी पुत्र पं. श्यामाचरण शुक्ल का संपूर्ण जीवन आदशों और सिद्धांतों के लिए समर्पित रहा है छत्तीसगढ़ में कृषि और सिंचाई के विकास में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है । स्वास्थय, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को संरक्षण उनकी मूल प्रवृति में शुमार थी ।उनसे संबंधित विवरण इस प्रकार है ।

जन्म – 27 जनवरी 1925 ई. रायपुर, निर्वाण 14–जनवरी 2007,रायपुर
पिता – स्व.पं. रविशंकर शुक्ल, स्वाधीनता संग्राम के अजेय योद्धा।
शिक्षा – बी.एस.सी. टेक (हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस)
एल.एल.बी. (शासकीय ला कालेज नागपुर)
छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र महाकौशल दैनिक के संस्थापक संपादक थे।
रायपुर फ्लाईंग एंड ग्लाइडिंग क्लब के संस्थापक थे।
स्वाधीनता संग्राम के दौरान विद्यार्थी कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य । पढ़ाई छोड़कर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय द्य इस दौरान अंग्रेजों द्वारा देखते ही गोली मार देने के आदेश होने पर भूमिगत होकर आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया।
1948 से 1957 तक रायपुर जिला कांग्रेस के सहमंत्री । 1957 से दशकों तक अ.भा.कांग्रेस के सदस्य । 1959 में जिला के उपाध्यक्ष ।
1963 में पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में शामिल न होकर व्यापक सांगठनिक कार्य किया।
1963 में म.प्र. विधानसभा के मुख्य सचेतक रहे।
1967 में म.प्र. के सिंचाई मंत्री रहे। तीन बार अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने

1. 26 मार्च 1969 से 23 जनवरी 1972 तक
2. 23 दिसंबर 1975 से 30 अप्रेल 1977 तक
3. 9 दिसंबर 1989 से लगभग 3 माह तक

1969 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उस जमाने के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम उम्र के थे। विधायक के तौर पर निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।
1957 से 1962 विन्दानवागढ राजिम
1962 से 1967 राजिम
1967 से 1972 राजिम
1972 से 1977 राजिम
1990 से 1992 राजिम (विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य)
1992 से 1998 राजिम
1998 में राजिम से पुनःनिर्वाचन
[illegible] में इस्तीफा देकर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से संसद के लिए निर्वाचित हुए।

Scanned with CamScanner

प्राचार्य की कलम से...

प्रिय,

छात्र–छात्राओं,

शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है। शिक्षा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक साधन है, जो उन्हें परिवार और समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है । ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा न सिर्फ समाज में सभी व्यक्तियों में समानता लाती है बल्कि देश के विकास और बृद्धि को भी बढ़ावा देती है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसींवा विकास पथ पर अग्रसर रहा है। महाविद्यालय ने सत्र 2018–19 में नैक मूल्यांकन में B-ग्रेड प्राप्त कर गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास किया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं पिछले सत्र से महाविद्यालय में प्राप्त हो रही हैं । महाविद्यालय में स्नातक में (कला, वाणिज्य, विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर में (गणित, हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र) आदि पाठ्यक्रमों में रूचिकर, शांतिपूर्ण माहौल में अध्ययन–अध्यापन के कारण छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। छात्र–छात्राओं की संख्या सत्र 2019–20 में 1056 तक पहुँच गई है।

आकर्षक भवन, प्रवेश द्वार, साईकिल स्टैण्ड, मिनी स्टेडियम द्वितीय तल एवं 100 सीटर कन्या छात्रावास का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है । साथ ही छात्राओं को इस सत्र से छात्रावास की सुविधा प्राप्त होगी । महाविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रारंभ करने एवं कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रम खुलवाए जाने हेतु प्रयासरत है।

महाविद्यालय छात्र–छात्राओं में गुणवत्ता मूलक शिक्षा एवं स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

यह विवरणिका महाविद्यालय का संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत करती है। ताकि नवागंतुक छात्र–छात्राएं महाविद्यालय से परिचित हो सकें एवं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें।

'सधन्यवाद सहित'

(डॉ. डी.एस. जगत)
प्राचार्य
शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसींवा – रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय

(शंकर नगर) धरसींवा, रायपुर (छ.ग.)

शिक्षण पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय (शंकरनगर) धरसींवा रायपुर की स्थापना 14 अगस्त 1989 को हुई थी। महाविद्यालय ने अपने स्थापना के 29 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में महाविद्यालय को 2014 से स्वयं का भवन प्राप्त हो चुका है। महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संबद्ध है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अध्यापन एवं अध्ययन की सुविधाएं है। स्नातकोत्तर स्तर 2014 मे एम.ए. राजनीति विज्ञान, तथा 2015 से एम.ए. हिन्दी साहित्य तथा एम.एससी. गणित, की कक्षायें संचालित है। तथा 2017 से वाणिज्य संकाय में बी.कॉम प्रथम वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। इसका संचालन तथा वित्तीय परिक्षेत्र छत्तीसगढ शासन के अधीन है।

महाविद्यालय का नवीन शैक्षणिक सत्र 2020–21 शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ किया जायेगा।

महाविद्यालय पं. रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंद्ध है, महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय निम्न है।

<u>स्नातक स्तर</u>

कला संकाय (बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)

अनिवार्य विषय – आधार पाठयक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

पर्यावरण अध्ययन (बी.ए. प्रथम वर्ष में अनिवार्य) प्रोजेक्ट कार्य

वैकल्पिक विषय :– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न समूहो में से कोई 03 (तीन)

1) समाजशास्त्र
2) हिन्दी साहित्य
3) अर्थशास्त्र
4) राजनीति विज्ञान
5) इतिहास अथवा अंग्रेजी साहित्य (वैकल्पिक विषय)

वैकल्पिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।

विज्ञान संकाय (बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)

अनिवार्य विषय – आधार पाठयक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा

[illegible] अध्ययन (बी.एससी. प्रथम वर्ष में अनिवार्य) प्रोजेक्ट कार्य

[illegible] विषय :– किसी भी एक समूह का चयन करना होगा।

[illegible]त , भौतिक शास्त्र , रसायन शास्त्र

[illegible]णी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र , रसायन शास्त्र

Scanned with CamScanner

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम. प्रथम तथा द्वितीय)

अनिवार्य विषय – आधार पाठयक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन (बी.कॉम. प्रथम वर्ष में अनिवार्य) प्रोजेक्ट कार्य तथा रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी अनिवार्य विषय

स्नातकोत्तर स्तर

कला संकाय

राजनीति विज्ञान एम.ए. पूर्व (प्रथम , द्वितीय सेमेस्टर)
एम.ए. अंतिम(तृतीय , चतुर्थ सेमेस्टर)

हिन्दी साहित्य एम.ए. पूर्व (प्रथम , द्वितीय सेमेस्टर)
एम.ए. अंतिम (तृतीय , चतुर्थ सेमेस्टर)

विज्ञान संकाय

गणित एम.एससी. पूर्व (प्रथम , द्वितीय सेमेस्टर)
एम.एससी. अंतिम(तृतीय , चतुर्थ सेमेस्टर)

महाविद्यालय में स्वीकृत सीट संख्या

स्तर	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट संख्या
स्नातक स्तर	कला	बी.ए.	140
	विज्ञान	बी.एस.सी.	80 (गणित) 80 (बॉयो)
	वाणिज्य	बी.कॉम.	80
स्नातकोत्तर स्तर	कला	एम.ए. राज.विज्ञान	30
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	25
	विज्ञान	एम.एस.सी. गणित	15

Scanned with CamScanner

स्नातक स्तर शासकीय शुल्क (Government Fees)

शिक्षण शुल्क	–	115/– प्रति छात्र
स्टेशनरी शुल्क	–	02/– प्रति छात्र
प्रवेश शुल्क	–	03/– प्रति छात्र
प्रायोगिक शुल्क	–	20/– प्रति छात्र (भौतिक, गणित)
		20/– प्रति छात्र (बॉयोलाजी)

स्नातकोत्तर स्तर शासकीय शुल्क

शिक्षण शुल्क	–	135/– प्रति छात्र
स्टेशनरी शुल्क	–	02/– प्रति छात्र
प्रवेश शुल्क	–	03/– प्रति छात्र

अशासकीय शुल्क (Non-government Fees)–

AF अमलगमेटेड फंड राशि –

छात्रसंघ शुल्क	–	2.50/– प्रति छात्र
स्नेह स्म्मेलन	–	05/– प्रति छात्र
वाचनालय फीस	–	20/– प्रति छात्र
सम्मिलित निधि	–	20/– प्रति छात्र
क्रीड़ा शुल्क	–	12/– प्रति छात्र
यूथ रेडक्रास वार्शिक सदस्यता शुल्क	–	25/– प्रति छात्र
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25/– प्रति छात्र

P.D. पर्सनल डिपाजिट राशि

अवधान राशि	–	60/– प्रति छात्र
नामांकन शुल्क	–	100/– प्रति छात्र
नामांकन पत्र	–	50/– प्रति छात्र
परिचय पत्र	–	20/– प्रति छात्र
चिकित्सा शुल्क	–	03/– प्रति छात्र
साइकिल स्टेण्ड (पार्किंग)	–	20/– प्रति छात्र
पत्रिका शुल्क	–	50/– प्रति छात्र
छात्र सहायता शुल्क	–	05/– प्रति छात्र
विश्वविद्यालय छात्र संघ	–	0.50/– प्रति छात्र
शारीरिक कल्याण शुल्क	–	150/– प्रति छात्र

स्नातक स्तर पर –

जनभागीदारी शुल्क	–	600/– प्रति छात्र
स्नातकोत्तर स्तर पर		
जनभागीदारी शुल्क	–	700/– प्रति छात्र
अन्य शुल्क		
आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा	–	100/– प्रति छात्र
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा	–	50/– प्रति छात्र
प्रायोगिक विज्ञान शुल्क	–	100/– प्रति छात्र (गणित)
		150/– प्रति छात्र (बॉयोलाजी)

Scanned with CamScanner

टीप :- सत्र 2020-21 **में विश्वविद्यालय एवं शासन से प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों का परिपालन किया जावेगा।**

प्रवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत

1.0 **प्रयुक्ति** – ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्विद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06–07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होने तक समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2.0 **प्रवेश की तिथि–(शासन द्वारा घोषित)**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करना–
महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण–पत्र सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिनों पूर्व लगाई जाएगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायें। प्रवेश की अंतिम तिथि तक सूची प्राप्त हो जाने पर तथा महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर आवेदन पर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना–
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। मुख्य परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों तक जो भी पहले हो, मान्य होगी। कण्डिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जाये, किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

2.3 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए –
पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कण्डिका 2–2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे। नियमित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के तिथि से 10 दिन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित करने की तिथि से 15 दिनों तक जो भी पहले हो, मान्य होगी।

3.0 **प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोगी सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश संख्या निर्धारित स्थानों से अधिक न हो।

3.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.0 **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जाएगी, जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों प्रतियों को मूल प्रमाण–पत्रों से मिलाकर प्रमाणित किये जाने एवं द्य जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल द्य प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

4.4 घोषित प्रवेश की सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जाएगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.0 प्रवेश की पात्रता :–

5.1 (क) छत्तीसगढ़ के मूलस्थायी (छ.ग. में स्थायी सम्पतिधारी) निवासीध्राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हो उनके पुत्रध्पुत्रियों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों की बोर्ड व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्विद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल एवं विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है।

5.2 <u>स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश –</u>

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय नहीं दिया जाएगा। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की इंटरमीडिएट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथमध्द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीयध्तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 <u>प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –</u>

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णाक या न्यूतम 45% (स्वशासीध्आदर्श महाविद्यालों में पूर्णाक का न्यूनतम 50%) एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम (स्वशासीध्आदर्श महाविद्यालयों में पूर्णाक का न्यूनतम 45%) अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य कण्डिका 5.4 (क) न्यूनतम अंक सीमा में रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवश्यक एवं स्वशासीध्आदर्श महाविद्यालयों के प्राचार्य कण्डिका 5.4 (क) की न्यूनतम अंक सीमा के अधिकतम 5% तक शिथिलता प्रदान कर प्रवेश देने के लिए अधिकृत रहेंगे।

(ग) प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातकध्स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी। (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम सीमा में या प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5% की छूट प्रदान की जायेगी।

6.0 <u>समकक्ष परीक्षा –</u>

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के स्कूलध्इण्टरमीमिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल की 10+2परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई ऐसे पाठयक्रम लेकर 10+2 से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें संकाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं ये उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय से पात्रता–पत्र प्राप्त कर संबंधित संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6.2 सामान्यः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं कातिया (कातीय) विश्वविद्यालय को बी.ए./बी.कॉम (डॉयरेक्ट) वन सिटिंग परीक्षायें मान्य नहीं है।

Scanned with CamScanner

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधिक मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।

7.0 बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस–सी./बी.एच.एच–सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों ग्रुपों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षा करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय की पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों में स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयोंधविषय ग्रुप की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों का स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कक्षाओं में प्रयोग पूर्ण करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8.0 अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना। अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 उपरोक्त कंडिका 07 के खंड (1) एवं (2) आवेदकों को स्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.3 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं का अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जाएगा। अस्थायी प्रवेश निरस्त किये जाने या नियमित किये जाने की सूचना प्राचार्य द्वारा प्रसारित की जावेगी।

9.0 प्रवेश हेतु अर्हता –

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने, अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र में पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित अर्हता नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने गम्भीर आरोप है, चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत होंगे।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

9.4 (क) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विशेष सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट शीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

(ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिलाओं के आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय अशाकीय सेवारत कर्मचारियों को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्ररतुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.0 <u>प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –</u>

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।

10.2 स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल द्य प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

10.3 सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

11.0 <u>प्रवेश हेतु प्राथमिकता –</u>

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र, तत्पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

11.2 स्नातक स्तर पर अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जायें। आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

12.0 <u>आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –</u>

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10 प्रतिशत अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन–काम्पीटिशन) में नियमानुसार प्रावीण्य सूची में रखा जाता है, तो उसकी आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट इस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी और शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा एक से कम प्रतिशत आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्रध्छात्रायें उपलब्ध न हो तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किय जावे।

Scanned with CamScanner

13.0 अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रामण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभार होने पर मात्र एक सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटस –

स्काउटस शब्द को स्काउट्स / गाइड्स रेन्जर्स / रोबर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी.ए सर्टिफिकेट	–	2%
(ख)	एन.एस.एस.ध्एन.सी.सी.बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	3%
(ग)	एन.सी.सी. सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	–	4%
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व	–	4%
(ङ)	करने वाले छात्रों को नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में कन्जिजेन्ट भाग लेने वाले विद्यार्थी को	–	5%
(च)	राज्यपाल स्काउटस	–	5%
(छ)	राष्ट्रपति स्काउटस	–	10%
(ज)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10%
(झ)	ड्यूक ऑफ एडिन वर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेटे	–	15%
(ञ)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन सी सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले विद्यार्थी को	–	15%

13.2 ऑनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को – **10%**

13.3 खेलकूद/साहित्य/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता –

(1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला (सम्भाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर अंचल, (सम्भागध्क्षेत्रस्तर) प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के सदस्य को	–	2%
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	–	4%

(2) उपर्युक्त कंडिका 13,3(1) में उल्लेखित विभाग संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग (राज्य स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय का संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई यू. द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में)–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	–	6%
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	–	7%
(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	–	5%

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

Scanned with CamScanner

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले – 15%

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को – 12%

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10%

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10%

13.5 छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10%

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ के – 12%

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 10%

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

(क) एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिनकी उन्हें पात्रता है।

बशर्ते कि –

(1) इस सुविधा के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण अधिकार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय पूर्व सत्र में प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14.0 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन –

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम में अर्हकार परीक्ष के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों के 5ः घटाकर निर्धारित किया जाएगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में निर्देशित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जाएगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक सम्बंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

(ग) संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत ही दी जा सकेगी।

टीप :– उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर प्रकाशित प्रवेश नियम लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप–नियम

1. स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत् पात्रता रखने वाले छात्रछात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रध्छात्रायें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ के बारह के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, उसे प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर एवं सेन्ट्रल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा में उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री–डिग्री युनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण प्त्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दिया जावेगा।

पात्रता हेतु उन्हें समस्त परीक्षाओं के अंक सूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियाँ एवं उपाधि प्रमाण प्त्र, प्रवजन प्रमाण–पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियाँ सहित प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। जिसमें सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी के अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित फीस 40/– (चालीस रूपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200/– (दो सौ रुपये मात्र) विलम्ब शुल्क लगेगा। जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा महाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र पर जैसे ही विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू हो जायेगा। यदि छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालय के पार्ट में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त परीक्षा के सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सके।

2. सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक है, चाहे वे उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हो, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन–पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि पिछले वर्षों में कभी भी आंदोलन, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार के दोशी होने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. प्रवेश पाने के लिए आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में तथा विद्यार्थी के द्वारा स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनायें दी जानी चाहिए तथा प्रमाण पत्रादि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर सम्पूर्ण आवेदन–पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिनों के अंदर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जायेंगे, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय सूचना पटल पर सूचित की जावेगी।

शुल्क में संशोधनध्समिति के निर्णयानुसार किया जा सकता है। जिस दिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, उसी दिन सभी शुल्क जमा करना होगा।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना

छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्र. एफ–24–7/20/2005 रायपुर, दिनांक 01.09.2005 के अनुसार महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना का प्रावधान है। इस संबंध में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय की वार्षिक समय सारिणी

समय सारिणी प्राचार्य द्वारा घोषित किये जाने के बाद सूचना पटल पर लगा दी जाती है। तथा बल्क एसएमएस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से छात्र/छात्राओं को जानकारी प्रदान की जाती है।

एन.एस.एस.

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) भी उपलब्ध है जिनके अंतर्गत वर्तमान में 100 सीट संख्या उपलब्ध है।

एन.सी.सी.

एन.सी.सी. में गर्ल्स विंग में 53 सीट संख्या उपलब्ध है।

यूथ रेड क्रास यूनिट

महाविद्यालय में पंजीकृत यूथ रेड क्रास यूनिट भी संचालित है। जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ होती रहती है।

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय में क्रीड़ा विभाग प्रारंभ से संचालित है तब से खेल गतिविधियाँ होती रहती है क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम कब्बड्डी, खो–खो, व्हालीवाल, तैराकी, ताईक्वाडो तथा एथिलेटिक्स में भाग लेती आ रही है। महाविद्यालय प्रागंण में 52 लाख का मिनी स्टेडियम का कार्य पूर्ण हो चुका है।

ग्रंथालय में पुस्तकों की जानकारी

महाविद्यालय के ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या लगभग 15000 है। सामान्य ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं जर्नल्स भी उपलब्ध है एवं N-LIST की सुविधा भी इस सत्र से पुस्तकालय में उपलब्ध होगी।

महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को स्वर्ण पदक

महाविद्यालय में प्रतिभावन छात्र–छात्राओं को सत्र 2017–18 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने, क्रीड़ा में सर्वश्रेश्ठ प्रदर्शन करने तथा एन.एस.एस. में बेस्ट कैडेट को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। यह पदक क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधियों तथा महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं क्रीड़ा अधिकारी से प्राप्त सहयोग राशि से प्रदान किया जाता है

कैंटीन

महाविद्यालय में कैंटीन सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय में नवीन शुरूआत

महाविद्यालय में वाटर हारवेस्टिंग, ई–वेस्ट, कम्पोस्ट पिट, बाटनीकल गार्डन के साथ –साथ महाविद्यालय को स्वच्छ बनायें जाने हेतु पॉलीथीन मुक्त परिसर हेतु प्रयास किया जा रहा है।

दिव्यांग छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधा

महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए रैम्प, व्हीलचेयर, अलग कुर्सीयां एवं पाश्चात्य शैली टायलेट आदि उपलब्ध है।

महाविद्यालय में अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के अध्यापन हेतु विभिन्न विषयों में विषय विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार, व्याख्यान एवं वर्कशाप आयोजित किये जाते है। छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हेतु शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी किया जाता है।

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना आवश्यक है। जो विद्यार्थी परिचय पत्र विहीन पाये जायेगें उनको महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं माना जायेगा और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक की कार्यवाही की जायेगी।

नोट :– विवरणिका में संलग्न सभी प्रपत्रों में चाही गई जानकारी को अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करें।

Scanned with CamScanner

कक्षा में उपस्थिति

(1) किसी भी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिशत अपनी कक्षाओं में उपस्थिति प्राप्त करनी होगी और यह उपस्थिति एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. में भी आवश्यक है। कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 10.11.70 में की गई निम्नलिखित संस्तुतियाँ स्वीकृत की (अ) अध्यादेश की कंडिका 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा रखा जाये :-

PROVIDED, ALSO STUDENTS OF COLLEGE REPRESENTING IN COLLEGE OR UNIVERSITY IN THE RECOGNISED TOURNAMENTS AND EXTRACURICULAR ACTIVITIES SHOULD BE TREATED AS PRESENT IN CLASSES DURING PERIOD OF JOURNEY AND PARTICIPATION IN THE TOUNAMENT & EXTRACURICLAR ACTIVITIES AND SHOULD BE GIVEN ATTENDANCE OF ALL CLASSES, THEORY AND PRACTICAL, HELD DURING THIS PERIOD.

उपरोक्त आदेश के अंतर्गत एतद् उपस्थिति प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी उसी माह के अंत तक संबंधित प्राध्यापक से संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हों अपना आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो विद्यार्थी बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहेंगे उनको दंड होगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए।
आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
6. महाविद्यालय की सीमा में किसी भी प्रकार के नशीली एवं मादक पदार्थों का सेवन सर्वदा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त माना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी माँगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. **महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।**

Scanned with CamScanner

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75: उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी.ध्एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी नैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रेगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय विद्यार्थी महाविद्यालय से जा रहा होगा तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी इस निधि वापसी के समय विद्यार्थी को पहले रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
6. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशकों के अध्याधीन इस विवरण पत्रिका में किसी भी नियम उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है और वे इस दिशा में विज्ञप्ति तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।
7. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दे और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसी घृणित एवं अमानवीय प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी व जुर्माना (या दोनों) महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जायेगी।

Scanned with CamScanner

शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें निम्नलिखित विषय में संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा विना नाम से डाल सकता है।

1. महाविद्यालय में रैगिंग गतिविधि अशांति एवं अनुशासनहीनता, पीने की पानी एवं सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैक बोड आदि विषयक।।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति, अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा / वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्य प्रणाली विषयक ऐसे सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते है जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लायें।

सूचना

यद्यपि विवरणिका के मुद्रण एवं प्रकाशन में पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखा गया है तथापि मुद्रण त्रुटि के कारण किसी जानकारी अथवा आंकड़े के विषय में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तब प्राचार्य द्वारा किया गया स्पष्टीकरण व निर्देश ही मान्य होगा।

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001
क्रमांक 27 सन् 2001

(दिनांक 17 जनवरी, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधरण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।)

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उसके संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो, अर्थात रू–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएँ :

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) रैगिंगश्श से अभिप्रेत है किसी छात्र का मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से अत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से अवरित करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

3. रैगिंग का प्रतिषेध :

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड :

यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपरध या संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रश्नीय होना रू इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रश्नीय होगा।

6. अपराधों का विचारण :

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे। छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता – (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलवित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा। (2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

रैगिंग क्या है?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्रध्छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकताध्सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1893 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 1 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के लिए प्रतिकूल हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डराधमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दण्ड भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :– रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नही) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

- सीनियर छात्रों का 'सर' कहने के लिए बाध्य करना
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नये छात्रों को अपने सीधेपन से विपरीत आघात पहुँचाते हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
- नंगा करना, चुबंन लेना आदि
- अन्य अश्लीलताएँ करना।
- उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000 / – तक।

Scanned with CamScanner

रैगिंग का नियम

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित द्य करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो व स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बंधित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अतंर्गत निम्नलिखित अपराध आते है।
2. रैगिंग हेतु उकसाना।
3. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पाद करना।
5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
6. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
7. शरीर को चोट पहुँचाना।
8. गलत ढंग से रोकना।
9. आपराधिक बल प्रयोग।
10. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
11. बलात् गहण ।
12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
13. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
14. आपराधिक धमकी।
15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना।
17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है। संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना कीद्य सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय ने नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतिक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाही पूरी कर ली जाए।

रैगिंग

रैगिंग की घटनाओं पर प्रषासनिक कार्यवाही –

किसी छात्र को रैगिंग का दोशी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

(क) रैगिंग विराधी समिती उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेबी अथवा रैगिंग की धटना के स्वरुप एवं गंभीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल हेतु अपनी संस्तुति देगा।

(ख) रैगिंग विराधी समिती, रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

1. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति / छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना।
3. किसी टेस्ट / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
4. परीक्षफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राश्ट्रीय अथवा अन्तर्राश्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित
6. छात्रावास से निश्कासित करना।

——————000——————

Scanned with CamScanner

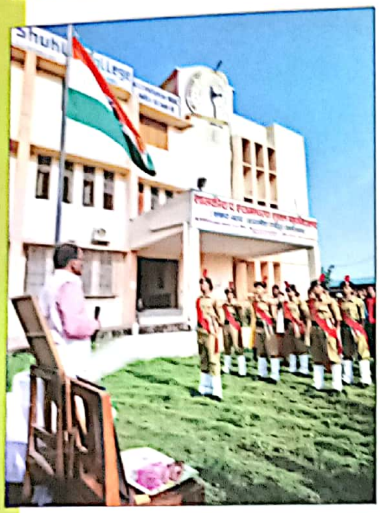

Pawan Printers Baihar 9617340820

Scanned with CamScanner